न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री नखतदान बारहठ,आर.ए.एस.

2018RAAJu225RTA013 Girish Kumar Vs Sanjay Gehlot

1. गिरिश कुमार पुत्र श्री स्व0 श्रीं नाथाराम मेघवाल
2. श्रीमती गंवरी पत्नी स्व0 श्री नाथाराम मेघवाल

निवासीगण ग्राम मोखेरी तहसील फलोदी
जिला जोधपुर।

----- अपीलाण्ड्स

ब

ना

म

1. संजय गहलोत पुत्र श्री पूनमसिंह गहलोत
2. श्रीमती सुनीता गहलोत पत्नी श्री संजय गहलोत

निवासीगण इन्द्रा विहार,न्यु पॉवर हाउस रोड़
जोधपुर

3. श्रीमती मीना पत्नी श्री गणेशराम पालीवाल पुत्र श्री मंछाराम पालीवाल
निवासी गांव मोखेरी तहसील फलोदी जिला जोधपुर।
4. श्रीमान् तहसीलदार फलोदी
तहसील फलोदी जिला जोधपुर।

----- रेस्पो.

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी, फलोदी दिनांक 18 जनवरी 2018 राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 12/2014 संजय गहलोत वगैरह बनाम गिरिश कुमार वगैरह

----- 0 -----

उपस्थित-

श्री अशोक पटेल, अधिवक्ता अपीलाण्ड्स एवं श्री अनिल राठी।
श्री सिद्धार्थ परिहार, अधिवक्ता रेस्पो. 1 से 2।
श्री दूदाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 4।

नि र्ण य

दिनांक : 08 नवम्बर 2019

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या 12/2004 संजय गहलोत व अन्य बनाम गिरीशकुमार आदि में पारित आदेश दिनांक 18 जनवरी 2018 के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष दिनांक 7 फरवरी 2018 को प्रस्तुत की है।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण-रेस्पो. संख्या एक व दो ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251ए के तहत एक प्रार्थनापत्र अपनी खातेदारी की भूमि गांव मोखेरी के खसरा संख्या 99/01 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा, खसरा संख्या 99/02 रकबा 15 बीघा 06 बिस्वा व खसरा संख्या 99 रकबा 31 बीघा से, उसके उत्तर-पूर्व में अप्रार्थीगण संख्या एक से तीन की खातेदारी की भूमि व उसके बाद उत्तरी तरफ अप्रार्थी संख्या दो के चिपती हुई गेवल सडक तक आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की खातेदारी की उक्त खसरा संख्या 96 व 97 की भूमि से प्रार्थनापत्र के संलग्न नजरी नक्शा एनेक्चर ए में लाल रंग से दर्शाये अनुसार रास्ते की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को तलब किया गया, अप्रार्थीगण संख्या 2 व 3 अधीनस्थ न्यायालय में बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने पर उनके खिलाफ इकतरफा कार्यवाही की गयी, अप्रार्थी संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थनापत्र का जवाब पेश कर जाहिर किया गया कि प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मौखेरी के खसरा संख्या 101 व 102 में से होकर गुजरने वाले रास्ते का प्रयोग किया जाता रहा है, खसरा संख्या 96 व 97 में से होकर आदिनांक तक कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं है। इन खसरान के चारो ओर तारबंदी की हुई है जिसमें मात्र एक ओर गेट लगा हुआ है, जिसका प्रयोग अप्रार्थी के परिवार वालों द्वारा ही किया जाता है। अप्रार्थी संख्या एक ने यह भी जाहिर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया कि अप्रार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति है जबकि प्रार्थी सवर्ण जाति का व्यक्ति है, इस कारण भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वह भूमि हस्तान्तरित नहीं करवा सकता है। अप्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट मंगवाने का आवेदन भी पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया। इसके बाद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उभय पक्षकारान की सुनवाई कर तहसीलदार फलोदी की रिपोर्ट के अनुरूप प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित समझते हुए अपीलाधीन आदेश के जरिये प्रार्थीगण-रेस्पो. का उक्त प्रार्थनापत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होते हुए अपीलाण्ट्स ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने में गम्भीर विधिक एवं तथ्यात्मक भूल की है। अप्रार्थी अनुसूचित जाति/जनजाति का व्यक्ति है जबकि प्रार्थी सवर्ण जाति का व्यक्ति है, इस कारण भी धारा 42 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत वह भूमि हस्तान्तरित नहीं करवा सकता है। अप्रार्थी द्वारा वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट मंगवाने का आवेदन भी पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिविरूद्ध ढंग से खारिज कर दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम मौखेरी के खसरा संख्या 101 व 102 में से होकर गुजरने वाले रास्ते का प्रयोग किया जाता रहा है, खसरा संख्या 96 वं 97 में से होकर आदिनांक तक कभी कोई रास्ता रहा ही नहीं है। इन खसरान के चारो ओर तारबंदी की हुई है जिसमें मात्र एक ओर गेट लगा हुआ है, जिसका प्रयोग अप्रार्थी के परिवार वालों द्वारा ही किया जाता है। तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट भी विधिवत तैयार नहीं की गयी, न ही मौके पर अपीलाण्ट की उपस्थिति में तैयार की गयी है। अंत में

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने अपील स्वीकार की जाकर वांछित अनुतोष प्रदान किये जाने का निवेदन किया।

जवाब में रेस्पो. की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने कथन किया धारा 42 के प्रावधान न्यायालय द्वारा पारित किये जाने वाले आदेश के संबंध में लागू नहीं होते है। जहॉ तक वैकल्पिक रास्ते की रिपोर्ट मंगाये जाने का प्रार्थनापत्र खारिज किये जाने का प्रश्न है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थनापत्र अपने न्यायिक विवेक का उपयोग करते हुए खारिज किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट के संबंध में अपीलाण्ट्स की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति पेश नहीं की गयी और अपील स्तर पर भी अनावश्यक आक्षेप लिया जा रहा है, ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह सिद्ध हो सके कि तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट विधि विरुद्ध तैयार की गयी हो। अतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं होने से तदनुसार खारिज की जावे एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जनवरी 2018 यथावत रखा जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अवलोकन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के ***नियम 69 के अनुसार धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ते के मामलों में मौका रिपोर्ट भू-अभिलेख निरीक्षक/तहसीलदार स्तर के राजस्व अधिकारी द्वारा उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देकर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौके पर जाकर तैयार की जायेगी।*** आलौच्य मामले में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तलब किये जाने पर जो मौका रिपोर्ट तहसीलदार कार्यालय से जरिये पत्र कमांक राजस्व/2017/एसपी-1 दिनांक 09 जून 2017 भिजवायी गयी है, उससे स्पष्ट पाया जाता है कि ***मौके पर***

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

पटवारी के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार की गयी है। मौका रिपोर्ट पर किसी भी पक्षकार के हस्ताक्षर नहीं है, जिससे यह नहीं कहा जा सकता कि वक्त रिपोर्ट मौके पर कौन-कौन पक्षकार उपस्थित थे। इतना ही नहीं, मौका जॉच किये जाने की पूर्व सूचना पक्षकारान को जारी की गयी हो, ऐसा पत्रावली के अवलोकन से प्रकट नहीं होता है। इन परिस्थितियों एवं तथ्यों से साफ जाहिर है कि मामले में राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 69 की पालना सुनिश्चित नहीं की गयी है। धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रास्ता के मामलों में एक निष्पक्ष एवं स्तरीय जॉच रिपोर्ट न्याय के मूल बिन्दु तक पहुॅचने के लिए नितान्त आवश्यक है, जिसका आलौच्य प्रकरण में अभाव पाया जाता है।

अतः अपील अपीलाण्ट्स आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18 जनवरी 2018 अपास्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाता है कि उभय पक्षकारान को पूर्व सूचना देते हुए अपीलाण्ट द्वारा सुझाए गये विकल्प पर भी विचारार्थ सभी संबंधित पक्षकारान की उपस्थिति में संबंधित तहसीलदार स्वंय को मौके पर भेजा जाकर मौका रिपोर्ट तैयार कर मंगवायी जावे और उसके बाद उभयपक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई कर नये सिरे से न्यायोचित एवं विधिसम्मतः आदेश पारित किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 8/11/19

(नखतदान बारहठ)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर